मनदीप सिंह पुत्र हरजीत सिंह   प्र.सं. 15/2018

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	6/8/19 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, पार्षद चुनाव श्रीकरनपुर में व्यस्त होने के कारण पत्रावली कार्यवाही दिनांक 19/8/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
	19/8/19 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर होने के कारण पत्रावली कार्यवाही दिनांक 30/8/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
	30/8/19 पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 17 ओ के मु०नं० 42 = 1.366 हैक. नहरी दर्शन सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 19 ओ खातेदार दर्ज है। यह है कि उक्त रकबा स्वः अर्जित है। यह है कि उक्त रकबे पर कब्जा काश्त वारिसान है। यह है कि उक्त रकबा रहन/बेय नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। यह है कि उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 1923 दिनांक 4/4/18 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज हेतु सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। जो समाचार पत्र "सीमा संदेश"	

अनवान.....

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिनांक 7/5/18 के अंक में पृष्ठ संख्या 4 कॉलम संख्या 05 पर प्रकाशित हुई है। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र सीमा संदेश में प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत में दर्ज गवाहान श्री रामभूती शर्मा पुत्र गुरदास मल जाति पंडित निवासी 19 ओ व बाघसिंह पुत्र महमासिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ के बयानातनुसार वसीयतकर्ता दर्शनसिंह ने वसीयत पूरे होस-हवास में, बिना किसी नशे पते बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के लिखवाई है। वसीयतकर्ता ने वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा खैरख्वांदी से करवाई है। मौके पर कब्जा कारत वसीयत अनुसार है, और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत रकबा स्वः अर्जित है। प्रश्नगत रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रश्नगत रकबा रहन/बेय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित नहीं है। वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज हेतु समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 7/5/18 के अंक में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है।

अनवान...

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
	वसीयत में दर्ज गवाहान के बयानानुसार वसीयतकर्ता दर्शन सिंह द्वारा वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव / उत्पीड़न के वसीयत करना, वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा से, स्वस्थचित मन से अपनी पूर्ण रजामंदी से करवाना, मौके पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार होना, मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना और वसीयत का क्रियान्वित होने बाबत अपने बयान दर्ज करवाये है। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत वसीयतनुसार राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करने हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली पूर्ण फल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफतर हो। 30.8.19	